न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 383 / 2021 **GCMS 2021/455**

प्रार्थी

1. दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र रामदेव अग्रवाल जाति महाजन निवासी राम–लक्ष्मण कॉलोनी नावां शहर

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री बिरमाराम अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 13/4/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि कुचामन तहसील में सेग्रीगेसन कार्यवाही शुरू होने से पूर्व मौजा ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुरा टोरडा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान के नवीन खसरा नम्बर 292 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन मकान एवं खसरा नम्बर 418 / 294 रकबा 0.27 हैक्टर गै.मु.उद्योग की भूमि सन् 1986–87 के समय के राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 418 / 294 रकबा 0.27 हैक्टर की भूमि खसरा नम्बर 292 की उत्तरी सींव तथा पश्चिमी खसरा नम्बर 294 की दक्षिणी सींव खसरा नम्बर 279 पूर्वी सींव के मध्य खुली भूमि अंकित है, नवीन सग्रीगेसन एवं खसरा सफाई की कार्यवाही के दौरान उक्त आराजी खसरा नम्बर 418 / 294 की उत्तर–पश्चिम दिशा की भूमि को खसरा नम्बर 294 की भूमि में सम्मिलित कर नक्शें में अशुद्व अंकन कर नक्शे में खसरा नम्बर 418 / 294 का रकबा कम कर दिया गया है जो पटवारी की अधिकारातीत लिपिकीय भूल है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि तहसीलदार से रिपोर्ट तलब फरमाकर मौजा ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुरा टोरडा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 418 / 294 रकबा 0.27 हैक्टर गै.मु. उद्योग की भूमि सन् 1986–1987 के राजस्व नक्शे में अंकन अनुसार उपर्युक्त खसरा नम्बर 292 की उत्तरी व पश्चिमी सींव एवं खसरा नम्बर 294 की दक्षिणी सींव के ओर खसरा नम्बर 279 पूर्वी सींव के मध्य खसरा नम्बर 418 / 294 में दर्शाकर 1986–87 के सेंटलमेंट अनुसार शुद्व नक्शा जारी किये जाने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 292 रकबा 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन उद्योग प्रयोजनार्थ एवं खसरा नम्बर 418/294 रकबा 0.27 हैक्टर गैर मुमकिन उद्योग की भूमि राजस्व रेकार्ड दर्ज है, शेष कथन प्रार्थी स्वयं सिद्व करे, बिन्दू संख्या 2 प्रार्थी स्वयं सिद्व करे, बिन्दू संख्या 3 एवं 4 माननीय न्यायालय से संबंधित है।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते समय जमाबंदी सम्वत 2068–2071 नकल ग्राम पनवाड़ी के खाता संख्या 63 खसरा नम्बर 292, 494/294 की छाया प्रति, चालू जमाबंदी सम्वत 2076–2079 नकल ग्राम पनवाड़ी के खाता संख्या 73 खसरा नम्बर 292, 494/294, नक्शा ट्रेस 1986–87 पटवारी हल्का द्वारा जारी नकल 07.04.2009 की प्रति, नामान्तरकरण सं. 320 की छाया प्रति, चालू नक्शा ट्रेस की छाया प्रति, प्रस्तुत की। दिनॉक 15.03.2022 को फार्म नम्बर 3 के साथ बेचान दस्तावेज गोपीलाल बहक सत्यनारायण की छाया प्रति, लीज डीड जिला कार्यालय नागौर से जारी का पंजियन 23.04.1980 की छाया प्रति, नामा. सं.320 की छाया प्रति, नवीन भू–प्रबन्ध से पूर्व नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 14, 78/15 बी 2 की नकल 7.10.1979 की छाया प्रति,दिनॉक 07.04.2009 को जारी पटवारी हल्का द्वारा नक्शा ट्रेस की प्रति, जिला कार्यालय नागौर द्वारा जारी आदेश एलआरसी/2021/6607–6632 दिनॉक 11.10.2021 डिजिटल लैण्ड रिकार्ड सम्बन्धी की छाया प्रति, जिला कार्यालय नागौर के आदेश प–9/भूअ़/DILMRP/ सेग्रीगेसन /2021/768–770 दिनॉक 2.01.2021 की छाया प्रति प्रस्तुत की।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए नक्शा ट्रेस में शुद्वि किये जाने का कथन किया। अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रेकार्ड का हवाला देते हुए प्रार्थी स्वयं सिद्व करने का कथन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 292 रकबा 0.04 हैक्टर गै.मु.उद्योग प्रयोजनार्थ खसरा नम्बर 418/294 रकबा 0.27 हैक्टर गै.मु.उद्योग प्रयोजनार्थ कुल रकबा 0.31 हैक्टर में दिनेश कुमार पुत्र रामदेव हिस्सा 1/2 जाति अग्रवाल सा. नावां खातेदार बद्रीनारायण अग्रवाल पुत्र रामदेव अग्रवाल हिस्सा 1/2 जाति अग्रवाल सा. नावां खातेदार दर्ज है। बेचान दस्तावेज दिनॉक 21.09.1979 प्रति अनुसार गोपीलाल पुत्र शिवनारायण अग्रवाल (मोर) निवासी कुचामनसिटी द्वारा पनवाड़ी के गत खसरा नम्बर 15 रकबा 16 बीघा में से 2 बीघा का बेचान सत्यनारायण पुत्र नवरंगराम जाति अग्रवाल निवासी कुचामनरोड़ नावां को किया गया। लीज डीड 23.04.1980 प्रति अनुसार सत्यनारायण पुत्र नवरंगराम अग्रवाल नावां के औद्योगिक जारी हुई। नामा. सं. 320 स्वीकृत दिनॉक 25.03.2009 अनुसार ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 288, 289, 290, 292, 293, 294, 296, 297 कुल रकबा 12.03 हैक्टर का पक्षकारान के मध्य बंटवारा स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार सत्यनारायण पुत्र नवरंगलाल अग्रवाल सा. नावां

के खसरा नम्बर 292 रकबा 0.04 हैक्टर गै.मु.मकान खसरा नम्बर 418/294 रकबा 0.27 हैक्टर बारानी द्वितीय कुल रकबा 0.31 हैक्टर हक हिस्से में आई। शेष खसरा रकबा की भूमि अन्य खातेदारो के अलग अलग दर्ज हुई। नक्शा ट्रेस की नकल अनुसार खसरा नम्बर 292 एवं 418/294 को पृथक से नही दर्शाकर साथ ही दर्शाया हुआ है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी दिनेश कुमार ही द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त भूमि में अन्य खातेदार बद्रीनारायण भी सह खातेदार दर्ज है जिसका भी 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसको प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्षकारा संयोजित नही किया गया है जबकि बद्रीनारायण भी बराबर का हक हिस्सेदार खातेदार है। नक्शा ट्रेस की प्रस्तुत नकल अनुसार खसरा नम्बर 294 का हक हिस्सा खसरा नम्बर 279 रास्ते पर स्पष्ट अंकित है जबकि खसरा नम्बर 292 एवं 418/294 को पृथक दर्शाया गया है। प्रार्थी दिनेश कुमार एवं बद्रीप्रसाद द्वारा क्रय हिस्सा 0.31 हैक्टर में 1/2– 1/2 हिस्सा दर्ज है। भूमि की किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज है जो श्रीमान जिला कलक्टर महोदय नागौर द्वारा जारी लीज के पश्चात दर्ज हुई है। गत खसरा नम्बर 15 एवं 78/15 बी 14 से किसी प्रकार से साबित नही होता है कि वर्तमान खसरा नम्बर की भूमि यही रही हो, चूँकि उक्त खसरान का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नही किया गया है। बेचान दस्तावेज 21.09.1979 की प्रति से भी किसी प्रकार से साबित नही होता है कि उक्त संशोधिन वांछनीय हो। ऑनलाईन नक्शें की प्रति में खसरा नम्बर 292 के आगे के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 294 की भूमि दर्शाई गई है जो सही है चूँकि ऑनलाईन कार्य सम्बन्धित कार्मिको द्वारा ही सही किया गया है। प्रार्थी के कथन किसी प्रकार से साबित नही होते है, तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा भी अपने जवाब में प्रार्थी के कथन को अस्वीकार किया है केवल राजस्व रेकार्ड की स्थिति को दर्शाते हुए प्रार्थी स्वयं सिद्व करने का कथन अपने जवाब में अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा अकेले ही द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि बद्रीनारायण सह खातेदार दर्ज होने के बावजूद पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से किसी प्रकार से साबित नही होता है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 279 रास्ते पर रही हो। अतः प्रार्थना–पत्र साबित नही होने से काबिल खारिज है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 13/4/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)